विधानसभा / महत्वपूर्ण

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@gov.in, website-www. https://fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 558/ संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 25 / 02/ 2026

प्रति,

1 **कलेक्टर**
जिला–जांजगीर–चाम्पा

2 **प्रबंध संचालक,**
छ.ग.राज्य नागरिक आपूर्ति
निगम, मुख्यालय, नवा रायपुर

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2391 तारांकित द्वारा श्री बालेश्वर साहू, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2391 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 28.02.2026** तक ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से ***(तारांकित प्रश्नों का अतिरिक्त जानकारी के साथ)*** भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 559/ संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 25/02/ 2026

प्रतिलिपि :–

खाद्य अधिकारी जिला जांजगीर–चाम्पा छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **09/03/2026**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **16/03/2026** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अमानक चावल को मानक घोषित करने की शिकायत की जांच**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **2391**) **श्रीबालेश्वर साहू**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या जिला जांजगीर-चांपा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के अंतर्गत शासकीय गोदामों एवं राशन दुकानों में घटिया अमानक, पुराना तथा पाउडर मिश्रित चावल की आपूर्ति किए जाने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें? (ख) क्या जांजगीर-चांपा जिला में पदस्थ जिला प्रबंधक (नान) एवं तकनीकी सहायक द्वारा राईस मिलर्स के संचालकों/मिलरों से अवैध वसूली किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है? (ग) अमानक चावल को मानक चावल घोषित करने हेतु किस लैब में इसका रासायनिक टेस्ट कराया गया था? उसका नाम बताएं? जांच उपरांत टेस्ट परीक्षण रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध कराएं? क्या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था? यदि हां तो गठित समिति में कौन-कौन से सदस्यों द्वारा जांच कराई गई? जानकारी उपलब्ध कराएं?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 25/02/2026 10:40:15 |

Remark :

गोस्वामि/
नान/